न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :217/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/350)

वादी बनाम	प्रतिवादी
1. जसपाल कौर उर्फ पाबो पुत्री छोटा सिंह पत्नी बलदेव सिंह जाति मजहबी निवासी 12 एच हाल आबाद 16 एफ तहसील व जिला श्रीगंगानगर।	1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:– 06.11.2024

उपस्थितः 1.श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा, श्री सुखविन्द्र सिंह सरां अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

––निर्णय–– **दिनांक : 20.06.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 12 एच, पटवार हल्का मोहलां, भू.अ.नि.क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 12/37 में वादी के नाम 0.371 हैक्टेयर भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त खाता में वादी का नाम पाबो कौर पुत्री छोटा सिंह अंकित है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात में नाम जसपाल कौर दर्ज है। वादिया का वास्तविक नाम जसपाल कौर है। वादी के नाम में भिन्नता होने के कारण कृषि भूमि को हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है। इस कारण वादी मुताबिक दस्तावेजो के आधार पर नाम संशोधित करवाने हेतु घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 12 एच, पटवार हल्का मोहलां, भू.अ.नि.क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 12/37 में अंकित नाम पाबो कौर पुत्री छोटा सिंह के स्थान पर जसपाल कौर पुत्री छोटा सिंह दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 1025 दिनांक 08.05.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 12 एच के खाता संख्या 12/37 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि में वादिया के नाम 371/6325 हिस्सा खातेदारी रिकॉर्ड दर्ज है। उक्त नाम ईन्तकाल संख्या 622 दिनांक 17.05.2016 को राजस्व रिकॉर्ड में पाबो कौर दर्ज हुआ। जो कि आज तक रिकॉर्ड में यथावत चला आ रहा है। पटवारी हल्का द्वारा पूछताछ की गई। पूछताछ में उपस्थितजनों ने बताया कि जसपाल कौर व पाबो कौर एक ही महिला के दो नाम है। साक्ष्यवादी में गवाह जसवीर कौर, जसवीर सिंह, बलजिन्द्र कौर, छिन्द्र सिंह, मनजीत कौर, राजवीर कौर के शपथ पत्र बाबत साक्ष्य पेश किया। सामिल मिसल किया गया।
3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 12 एच, पटवार हल्का मोहलां, भू.अ.नि.क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 12/37 की प्रति, जन आधार कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति, मतदाता पहचाना पत्र की छायाप्रति, के अवलोकन से स्पष्ट है,

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 12 एच, पटवार हल्का मोहलां, भू.अ.नि.क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 12/37 में क्रम संख्या 3 पर अंकित नाम पाबो कौर के स्थान पर जसपाल कौर दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया गया है। वादी के पहचान सम्बन्धी दस्तावेज जन आधार कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, पैन कार्ड की छायाप्रति, मतदाता पहचाना पत्र की छायाप्रति में नाम जसपाल कौर दर्ज है। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक चक 12 एच के खाता संख्या 12/37 की कुल 6.325 हैक्टेयर भूमि में वादिया के नाम 371/6325 हिस्सा खातेदारी रिकॉर्ड दर्ज है। उक्त नाम ईन्तकाल संख्या 622 दिनांक 17.05.2016 को राजस्व रिकॉर्ड में पाबो कौर दर्ज हुआ। जो कि आज तक रिकॉर्ड में यथावत चला आ रहा है। पटवारी हल्का द्वारा पूछताछ की गई। पूछताछ में उपस्थितजनों ने बताया कि जसपाल कौर व पाबो कौर एक ही महिला के दो नाम है। सरपंच ग्राम पंचायत 12 एच मोहलां के तस्दीक प्रमाण पत्र के अनुसार जसपाल कौर का जमाबन्दी में नाम पाबो लिखा गया है। सही नाम जसपाल कौर है। जसपाल कौर उफ पाबो एक ही औरत के दो नाम है। इसी प्रकार सरपंच ग्राम पंचायत 71 आर बी के तस्दीक प्रमाण पत्र के अनुसार चक 16 आर बी की जसपाल कौर पत्नी बलदेव सिंह का नाम चक 12 एच में जमीन की जमाबन्दी में नाम पाबो लिखा गया है। जसपाल कौर व पाबो एक ही औरत का नाम है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बन्धी दस्तावेजात, गवाहन शपथ पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत 12 एच मोहलां के तस्दीक प्रमाण पत्र, सरपंच ग्राम पंचायत 71 आर बी के तस्दीक प्रमाण पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

—:आदेशः—

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136— भू—राजस्व अधिनियम—1956 भली—भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 12 एच, पटवार हल्का मोहलां, भू.अ.नि. क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 12/37 में क्रम संख्या 3 पर अंकित नाम पाबो कौर के स्थान पर पाबो कौर उर्फ जसपाल कौर दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

(श्योराम (आर.ए.एस.))
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

जसपाल कौर उर्फ पाबो कौर बनाम राजस्थान सरकार

धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट

मुकदमा नम्बर 217/2024

निर्णय दिनांक :- 20.06.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा, श्री सुखविन्द्र सिंह सरां उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136-भू-राजस्व अधिनियम-1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 12 एच, पटवार हल्का मोहलां, भू.अ.नि.क्षेत्र मलकाना कलां, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 12/37 में क्रम संख्या 3 पर अंकित नाम पाबो कौर के स्थान पर पाबो कौर उर्फ जसपाल कौर दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 20.06.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

(श्योराम) (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
दिनांक: 20.06.2025

क्रमांक: रीडर/2025/402

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर